

डिक्री बमुकददमें इब्दादाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 158/2017

दायर दिनांक 12.06.2018



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

वादी	प्रतिवादीगण
1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह, उम्र-27साल, जाति-राजपूत, निवासी-रुवाँ, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. हुसेनखॉ पुत्र स्वर्गीय अब्दुखॉ, 2. भोलूखॉ पुत्र स्वर्गीय अब्दुखॉ, 3. रिमजानखॉ पुत्र स्वर्गीय अब्दुखॉ, 4. मजीदखॉ पुत्र स्वर्गीय अब्दुखॉ, 5. भँवरी पत्नी पुत्र स्वर्गीय अब्दुखॉ, जातिगण-मुसलमान, 6. भँवरलाल पुत्र रामकुँवार, 7. प्रहलाद पुत्र रामकुँवार, 8. दशरथ पुत्र रामकुँवार, जातिगण-बनियाँ, 9. रमजूखॉ पुत्र मोलुखॉ, 10. सफीखॉ पुत्र मोलुखॉ, 11. मुरादखॉ पुत्र सफीखॉ, जातिगण-मुसलमान, समस्त, निवासी-खुनखुना स्टेशन, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 12. जगदीशप्रसाद पुत्र बिहारीलाल, जाति-जाँगिड़, निवासी-कुडली, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 13. लिछमणराम पुत्र दीनाराम, जाति-जाँगिड़, निवासी-खुनखुना, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 14. सत्यनारायणराम पुत्र मोहनराम, जाति-जाँगिड़, निवासी-प्यावाँ, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 15. वीरमाराम पुत्र रामदेव, जाति-जाट, निवासी-प्यावाँ,

बनाम्

2-6  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)

		तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 16. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।
--	--	---


दावा बाबत  
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,  
अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 R.T.Act.

दिनांक 13.02.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़, वकील, वादी ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर सरहद खुनखुना के खेत खसरा संख्या 180 रकबा 82.02 बीघा भूमि व खेत खसरा संख्या 195 रकबा 10.15 बीघा भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पत्रांक: 179 दिनांक 22.01.2019 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


विभाजन प्रस्ताव पत्रांक: 179 दिनांक 22.01.2019, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....  
-.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.02.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।

  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	-		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)


**न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना**

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 158/2017

दायर दिनांक 12.06.2018

वादी	प्रतिवादीगण
<p>1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह, उम्र-27साल, जाति-राजपूत, निवासी-रुवाँ, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।</p>	<p>बनाम्</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. हुसेनखाँ पुत्र स्वर्गीय अब्दुखाँ,</li> <li>2. भोलूखाँ पुत्र स्वर्गीय अब्दुखाँ,</li> <li>3. रिमजानखाँ पुत्र स्वर्गीय अब्दुखाँ,</li> <li>4. मजीदखाँ पुत्र स्वर्गीय अब्दुखाँ,</li> <li>5. भँवरी पत्नी पुत्र स्वर्गीय अब्दुखाँ, जातिगण-मुसलमान,</li> <li>6. भँवरलाल पुत्र रामकुँवार,</li> <li>7. प्रहलाद पुत्र रामकुँवार,</li> <li>8. दशरथ पुत्र रामकुँवार, जातिगण-बनियाँ,</li> <li>9. रमजूखाँ पुत्र मोलुखाँ,</li> <li>10. सफीखाँ पुत्र मोलुखाँ,</li> <li>11. मुरादखाँ पुत्र सफीखाँ, जातिगण-मुसलमान, समस्त, निवासी-खुनखुना स्टेशन, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान,</li> <li>12. जगदीशप्रसाद पुत्र बिहारीलाल, जाति-जाँगिड़, निवासी-कुड़ली, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान,</li> <li>13. लिछमणराम पुत्र दीनाराम, जाति-जाँगिड़, निवासी-खुनखुना, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान,</li> <li>14. सत्यनारायणराम पुत्र मोहनराम, जाति-जाँगिड़, निवासी-प्यावाँ, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान,</li> <li>15. बीरमाराम पुत्र रामदेव,</li> </ol>

  
**सहायक कलेक्टर**  
**डीडवाना (नागौर)**

राजस्व-वाद, संख्या 158/2017  
दायर दिनांक 12.06.2018, निर्णय दिनांक 11.02.2019  
सुरेन्द्रसिंह, वगैरा बनाम हुसेनखाँ, वगैरा।

	जाति-जाट, निवासी-प्यावाँ, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान. 16. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।
--	--

दावा बाबत  
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,  
अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-


1. श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़, वकील, वादी।

-:: अंतिम निर्णय ::-

दिनांक 11.02.2019

मौजा सरहद खुनखुना के खेत खसरा संख्या 180 रकबा  
82.02 बीघा भूमि व खेत खसरा संख्या 195 रकबा 10.15 बीघा भूमि का  
वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 15 के मध्य बाईनीट्स एण्ड बाउण्डस  
से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत, दिनांक 30.06.2018 को जरिये प्राथमिक  
डिक्री के, विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को  
दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक 179 दिनांक 22.01.  
2019 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा  
प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत है। बन्टवारा प्रस्तावित करने में

  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

